जोधपुर।   ...भाटी, मण्डोर रोड़,

बनाम

अप्रार्थी:– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी।

उपस्थित –

प्रार्थीया की ओर से – अधिवक्ता श्री मोहम्मद नदीम।
अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक:–12/3/22

प्रार्थीया द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी के पति का सही व वास्तविक नाम अजीतसिंह पुत्र श्री पाबुसिंह है जो कि आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। प्रार्थीया के पति की सह खातेदारी सुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 764 रकबा 105 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 774 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 774/2 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम तिंवरी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर में स्थित है, जिसके राजस्व रेकर्ड संवत् 2072–2075 खेवट (खतौनी) संख्या नया 838 व पुराना 768 में प्रार्थीया के पति 1/5 हिस्से पर बतौर सह खातेदार के रूप में नाम घेवरसिंह पुत्र श्री पाबुदानसिंह दर्ज है जो प्रार्थीया के पति का बोलचाल एवं घरेलु नाम था। अजीतसिंह पुत्र श्री पाबुसिंह एवं घेवरसिंह पुत्र श्री पाबुदानसिंह ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है यानि प्रार्थीया के पति के नाम है इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति या सहखातेदार परिवार में नहीं है। प्रार्थीया के पति श्री अजीतसिंह उर्फ घेवरसिंह का स्वर्गवास दिनांक 07.05.2015 को हो चुका है। राजस्व रेकर्ड कृषि भूमि खसरा संख्या 764 रकबा 105 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 774 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 774/2 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा ग्राम तिंवरी तहसील तिंवरी में सद्भाविक भूल घेवरसिंह पुत्र श्री

सहायक कलेक्टर, ...

Scanned with CamScanner

पाबुदानसिंह नाम को शुद्धिकरण कर उसके स्थान पर अजीतसिंह पुत्र श्री पाबुसिंह को दुरूस्त किये जाने का सादिर आदेश फरमावें।

प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पति का वास्तविक नाम अजीतसिंह पुत्र पाबुसिंह है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पति की सह खातेदारी सुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 764 रकबा 105 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 774 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 774/2 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम तिंवरी, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थीया के पति का नाम घेवरसिंह पुत्र पाबुदानसिंह के स्थान पर अजीतसिंह पुत्र पाबुसिंह दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 12/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner